26

7

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल.

क्रमांक/मु०व०सं०उ०राजस्व/3751 भोपाल, दिनांक 7-8-91

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- अपसेट प्राइज से कम बोली प्राप्त होने पर स्वीकृति के अधिकार ।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का ज्ञाप क्रमांक मु०व०सं०उ०/राजस्व/1845 दि. 22.4.9

अपसेट प्राइज से कम बोली के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्देश निम्नानुसार है:-

(1) ज्ञापन क्रमांक मु०व०सं०उ०राजस्व/1480 दिनांक 11-12-1989

सागौन/साल चट्टों के लिए

	वन मण्डलाधिकारी	वन संरक्षक
(1) प्रथम नीलाम	×	×
(2) द्वितीय नीलाम	10%	20%
(3) तृतीय नीलाम एवं बाद में	10%	पूर्ण अधिकार

(2) ज्ञापन क्र. मु०व०सं० (उत्पादन)/राजस्व/399 दिनांक 19-1-91.

सलई, मोयन के लिए

(1) प्रथम नीलाम	10%	20%
(2) द्वितीय एवं बाद में	20%	पूर्ण अधिकार

(3) ज्ञापन क्रमांक मु०व०सं० (उत्पादन) राजस्व/1450 दिनांक 19-3-91

साल सागौन एवं सतकठा की बल्ली एवं सागौन की डैंगरी तथा सतकठा, साजा, बीजा आदि के लट्ठों के लिए

(1) प्रथम नीलाम	10%	20%
(2) द्वितीय नीलाम एवं बाद में	10%	पूर्ण अधिकार

अतः उपरोक्त प्रदत्त अधिकार ही अन्तिम रूप से लागू माने जायेंगे ।

२७

प्राय: यह देखा जा रहा है कि वन मण्डलाधिकारी प्रदत्त अधिकारों के विपरीत बोली मान्य कर उसके स्वीकृति के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजकर स्वीकृति चाही जाती है जो उचित नहीं। जब आपको पूर्ण अधिकार दिए जा चुके हैं तो इस कार्यालय को प्रकरण भेजने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए अत: भविष्य में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ताकि संबंधित ठेकेदारों को यथासमय स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

हस्ता०/-
नि. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल.

पृ०क्रमांक/मु०व०सं०उ०राजस्व/3752/ भोपाल, दिनांक 7-8-91

प्रतिलिपि:-
समस्त वन मण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता०/-
नि. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल